

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी : श्री बापुलाल

विपक्षी : श्री रशीदा

किस्म मुकदमा - 212

पत्रावली संख्या : 129/15

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गईं
	<p>दिनांक : 12.10.2020</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। प्रकरण में मूल वाद को अधिवक्ता वादीगण द्वारा विद्रो कर लिया गया है। चूंकि वादी द्वारा वाद में कोई कार्यवाही न चाहकर वाद को विद्रो करा लिया गया है। ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद विद्रो हो जाने से इस पत्रावली में अब कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती है। अतः उक्त पत्रावली इसी स्तर पर ड्रॉप की जाती है। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(रमेश सीरवी पुनाडिया) उपखण्ड अधिकारी मावली</p>	

